राजस्थान–सरकार
ग्रामीण विकास विभाग
सामाजिक लेखा परीक्षा, जवाबदेही एवं पारदर्शिता सोसायटी, राजस्थान, जयपुर
(E mail : DIR.SOCIALAUDIT@RAJASTHAN.GOV.IN, Tel.2227725)

क्रमांक: एफ. 61(21) SSAAT / नियमावली / 2019 / 6057 जयपुर, दिनांक: 02/02/2022

(आदेश सं. 75 / 2022)

सामाजिक विकास विशेषज्ञ एवं अन्य संसाधन व्यक्तियों के चयन संबंधी विनियम, 2020 (द्वितीय संशोधन)

ग्राम संसाधन व्यक्तियों की चयन संबंधी पात्रता

सामाजिक लेखा परीक्षा, जवाबदेही एवं पारदर्शिता सोसायटी, (SSAAT) राजस्थान की शासी निकाय की प्रथम बैठक दिनांक 26.11.2019 के निर्णय सं. 1.5 एवं कार्यकारी समिति की प्रथम बैठक दिनांक 24.02.2020 के निर्णय संख्या 1.4 के अनुसार श्रीमान मुख्य सचिव सह अध्यक्ष महोदय, शासी निकाय की आई.डी. संख्या 1572 / सी.एस. / 2020 दिनांक 11.03.2020 द्वारा अनुमोदन की पालना में सामाजिक विकास विशेषज्ञ एवं अन्य संसाधन व्यक्तियों के चयन संबंधी विनियम, 2020 आदेश कमांक एफ 61(21) / SSAAT / नियमावली / 2019 / 7497–7514 दिनांक 12.03.2020 (आदेश सं. 2 / 2020) जारी किए गये थे। इसी कम में सामाजिक लेखा परीक्षा, जवाबदेही एवं पारदर्शिता सोसायटी (SSAAT) की कार्यकारी समिति (EC) की द्वितीय बैठक दिनांक 29.07.2020 में लिये गये निर्णय संख्या 2.8 और सोसायटी के शासी निकाय के परिचालन प्रस्ताव संख्या 1 / 2020 (एफ. 61(21) SSAAT / नियमावली / 2019 / 1456–65) दिनांक 22.09.2020 के निर्णय के अनुमोदन के क्रम में संशोधित विनियम आदेश कमांक 1805–22 दिनांक 27.11.2020 (आदेश सं. 10 / 2020) जारी किए गये हैं। दोनों आदेश सामाजिक लेखा परीक्षा, जवाबदेही एवं पारदर्शिता सोसायटी (SSAAT) की **Website- www.socialaudit.rajasthan.gov.in** पर अवलोकनार्थ उपलब्ध हैं। इस संशोधन आदेश के द्वारा मुख्य रूप से सामाजिक विकास विशेषज्ञ एवं अन्य संसाधन व्यक्तियों के चयन हेतु पूर्व निर्धारित प्रक्रिया में निर्धारित लिखित परीक्षा के स्थान पर निर्धारित शैक्षणिक योग्यता में प्राप्तांको के प्रतिशत के आधार पर वरीयता सूची बनाकर मैरिट के आधार पर चयन करने और ब्लॉक संसाधन व्यक्तियों के चयन हेतु प्रशैक्षणिक योग्यता जोड़े जाने की व्यवस्था की गई है।

ग्राम संसाधन व्यक्ति के लिये सोसायटी के वर्तमान प्रचलित विनियम, 2020 (उपरोक्त संदर्भित आदेश सं. 2 / 2020 एवं आदेश सं. 10 / 2020) में निम्नानुसार प्रावधान उपलब्ध है:–

(य) ग्राम संसाधन व्यक्ति :–

ग्राम संसाधन व्यक्तियों के लिए निम्नलिखित अहर्ताएं (Qualifications) होनी आवश्यक हैं :–

(I) कक्षा 10वीं पास अभ्यर्थियों को पात्र माना जावेगा।

(II) आवेदन की अंतिम तिथि को आयु 21 से 64 वर्ष के मध्य होनी चाहिये। संसाधन व्यक्ति की अधिकतम 65 वर्ष की आयु तक या राज्य सरकार के प्रचलित नियमों के अनुसार ही सामाजिक अंकेक्षण कार्य करने की पात्रता रहेगी।

(III) आवेदनकर्ता राजकीय अधिकारी/कर्मचारी नहीं होना चाहिए, परन्तु सेवानिवृत राजकीय कर्मचारी पात्र होगें।

(IV) ग्रामीण विकास संबंधी योजनाओं यथा महात्मा गांधी नरेगा योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना–ग्रामीण आदि के लाभार्थी परिवारों के मुखिया अथवा सदस्यों को प्राथमिकता प्रदान की जायेगी।

(V) यदि उक्त बिन्दु सं0 (ii) के अनुसार पात्र अभ्यर्थी उपलब्ध ना हो तो दसवीं पास कोई भी शिक्षित व्यक्ति चयन हेतु पात्र माना जायेगा।

(VI) कक्षा 10वीं पास अभ्यर्थी नहीं मिले तो इस शर्त में जिला चयन समिति/सामाजिक लेखा परीक्षा, जवाबदेही एवं पारदर्शिता सोसायटी उपयुक्त शिथिलता देने हेतु सक्षम होगी।

(VII) सूचना प्रोद्यौगिकी/कम्प्यूटर में दक्षता प्राप्त अभ्यर्थी को प्राथमिकता प्रदान की जायेगी। दक्षता जाँचने के लिए आवश्यकतानुसार उपयुक्त टेस्ट लिया जा सकेगा।

उक्त प्रचलित प्रावधानों में ग्राम संसाधन व्यक्तियों के लिये पात्रता शर्तों में संशोधन करते हुए कुछ अन्य लोगों को भी सामाजिक अंकेक्षण कार्य के लिये सम्मिलित किया जाना प्रस्तावित किया जा रहा हैं ताकि सामाजिक अंकेक्षण कार्य में किन्हीं व्यक्तियों/समूहों का एकाधिकार आधिपत्य स्थापित न हो।

इस विषय में कार्यकारी समिति (EC) के परिचालन प्रस्ताव सं. 1/2021 दिनांक 23.12.2021 पर हुए निर्णय एवं श्रीमान मुख्य सचिव महोदय सह अध्यक्ष, शासी निकाय (GB) के अनुमोदन अनुसार निम्नानुसार संशोधन किया जाता है :–

1. राजीविका–महिला स्वंय सहायता समूहों की महिलाओं, महिला अधिकारिता विभाग में कार्यरत साथिनों और नेहरू युवा केन्द्रों के कक्षा 10वीं अथवा अधिक शिक्षित सदस्यों को सीधे ही (Lateral Entry) ग्राम संसाधन व्यक्तियों के रूप में लिया जा सकेगा। इन लोगों में से सामाजिक विकास विशेषज्ञ एवं अन्य संसाधन व्यक्तियों के चयन विनियम, 2020 (यथा संशोधित) अनुसार उपयुक्त/पात्र तथा सामाजिक अंकेक्षण कार्य करने हेतु सहमति देने वाली महिलाओं/सदस्यों को समानांतर प्रविष्टि के रूप में सीधे ही (Lateral Entry) लिया जा सकेगा।
2. राजीविका स्वयं सहायता समूहों (SHGs) की महिलाओं में से ग्राम संसाधन व्यक्तियों के लिए निर्धारित पात्रता (10वीं पास) धारक महिला सदस्यों की संख्या अत्यधिक है। अतः समस्त ग्राम संसाधन व्यक्तियों की संख्या की अधिकतम एक तिहाई संख्या तक इस वर्ग से ली जा सकेगी।
3. महिला अधिकारिता विभाग में कार्यरत साथिनों में से कक्षा 10वीं पास एवं उच्चतर शिक्षा प्राप्त ऐसी महिलाऐं, जो सामाजिक अंकेक्षण करने हेतु सहमत हैं, उन सभी को ग्राम संसाधन व्यक्तियों के रूप में लिया जा सकेगा।
4. नेहरू युवा केन्द्र के सदस्यों में से सामाजिक अंकेक्षण कार्य करने हेतु सहमति व्यक्त करने वाले सदस्यों की संख्या अत्यल्प है। अतः इन सभी सहमति प्रदान कर चुके 10 वीं पास एवं उच्चतर शिक्षित सदस्यों को भी ग्राम संसाधन व्यक्तियों के रूप में लिया जा सकेगा।

5. ग्राम संसाधन व्यक्तियों का वित्त विभाग से प्राप्त स्वीकृत संख्या (35200) के विरूद्ध तीन गुणा तक चयन किया जा सकेगा परन्तु सामाजिक अंकेक्षण कार्य हेतु वास्तविक रूप से नियोजित ग्राम संसाधन व्यक्तियों की संख्या वित्त विभाग की स्वीकृत संख्या 35200 (अथवा भविष्य में संशोधित संख्या) तक ही सीमित रखी जावेगी।
6. उपरोक्त तीनों वर्गो के सदस्यों के अलावा अन्य शेष बची हुई संख्या में ग्राम संसाधन व्यक्तियों का चयन सामाजिक विकास विशेषज्ञ एवं अन्य संसाधन व्यक्तियों के चयन विनियम, 2020 दिनांक 12.03.2020 (आदेश सं. 2/2020) में अंकित पात्रता संबंधी प्रावधान **" य (IV)– ग्रामीण विकास संबंधी योजनाओं यथा महात्मा गांधी नरेगा योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना–ग्रामीण आदि के लाभार्थी परिवारों के मुखिया अथवा सदस्यों को प्राथमिकता प्रदान की जावेगी "** की पालना करते हुए किया जाना है। इस हेतु सभी ग्रामीण विकास योजनाओं एवं अन्य योजनाओं, जिनका सामाजिक अंकेक्षण SSAAT द्वारा किया जाना अधिकृत है अर्थात् महात्मा गॉधी नरेगा योजना (MGNREGA), प्रधानमंत्री आवास योजना– ग्रामीण (PMAY-G), स्वच्छ भारत मिशन– ग्रामीण (SBM-G), 14वें/15वें केन्द्रीय वित्त आयोग (14th/15th CFC), श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूर्बन मिशन (SPMRM) एवं राष्ट्रीय समाजिक सहायता कार्यक्रम (NSAP) आदि के व्यक्तिगत लाभार्थी परिवारों के मुखिया या उनके परिवार के सदस्यों में से सोसायटी में प्रचलित ऑन लाईन आवेदन–पत्र संबंधी सॉफ्टवेयर (Online Application Software) के माध्यम से आवेदन–पत्र प्राप्त किये जावेंगे।
7. उपरोक्त क्रम संख्या 6 में वर्णित आवेदकों (open market candidates) में से कक्षा 10वीं में प्राप्तांको के मेरिट के आधार पर चयन कार्यवाही सम्पादित की जावेगी।

   राजीविका महिला स्वयं सहायता समूहों की महिलाओं, महिला अधिकारिता विभाग की साथिनों और नेहरू युवा केन्द्रों के सदस्यों की सीधे ही समानांतर प्रविष्टि (Lateral entry) उपरोक्त वर्णित पैराओं के अनुसार की जा सकेगी।

   इस प्रकार उपरोक्त सभी श्रेणियों के आवेदकों में से वित्त विभाग की स्वीकृत संख्या 35200 के तीन गुणा तक ग्राम संसाधन व्यक्तियों का चयन किया जा सकेगा परन्तु वास्तविक रूप से सामाजिक अंकेक्षण कार्य में नियोजन वित्त विभाग की सहमति अनुसार स्वीकृत संख्या तक ही किया जाना है।

8. इस प्रकार सभी श्रेणियों के आवेदकों को मिलाकर ग्राम संसाधन व्यक्तियों का एक कॉडर सृजित हो सकेगा जिसमें जो व्यक्ति जिस योजना से संबंधित होगा यथा संभव उस योजना के सामाजिक अंकेक्षण कार्य में नियोजित नहीं किया जावेगा। उदाहरणार्थ राजीविका योजना का सामाजिक अंकेक्षण राजीविका महिला स्वयं सहायता समूहों की महिलाओं द्वारा नहीं किया जावें, ऐसी व्यवस्था स्थापित करने के प्रयास किये जावेंगे।

सामाजिक विकास विशेषज्ञ एवं राज्य/जिला/ब्लॉक/ग्राम संसाधन व्यक्तियों के काडर के यथोचित नियंत्रण हेतु उपयुक्त नियम बनाने/प्रावधान करने हेतु अतिरिक्त मुख्य सचिव/प्रमुख शासन सचिव, ग्रा.वि.प.रा.वि. सह अध्यक्ष कार्यकारी समिति (EC), सामाजिक लेखा परीक्षा, जवाबदेही एवं पारदर्शिता सोसायटी (SSAAT) सक्षम प्राधिकारी होगें।

उक्त आदेश कार्यकारी समिति (EC) के परिचालन प्रस्ताव सं. 1/2021 दिनांक 23.01.2021 पर सोसायटी की कार्यकारी समिति के बहुमत से अनुमोदित निर्णय एवं श्रीमान मुख्य सचिव सह अध्यक्ष, GB SSAAT की आई डी. संख्या 359/CS/22 दिनांक 24.01.2022 द्वारा अनुमोदन अनुसार जारी किया जाता है।

(अपर्णा अरोरा)
प्रमुख शासन सचिव,
ग्रा.वि.वि. एवं पं.रा.विभाग
सह चेयर परसन, EC, SSAAT

क्रमांक: एफ. 61(21) SSAAT/नियमावली/2019/6058-75 जयपुर, दिनांक: 02/02/2022

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:–

1. श्रीमान प्रमुख शासन सचिव, मा. मुख्यमंत्री, राजस्थान सरकार।
2. श्रीमान विशिष्ठ सहायक, मा. मंत्री महोदय, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग राजस्थान, जयपुर
3. श्रीमान विशिष्ठ सहायक, मा. राज्य मंत्री महोदय, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग राजस्थान, जयपुर।
4. उप शासन सचिव, श्रीमान् मुख्य सचिव सह अध्यक्ष, शासी निकाय, सामाजिक लेखा परीक्षा जवाबदेही एवं पारदर्शिता सोसायटी (SSAAT)
5. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज विभाग, MORD, भारत सरकार, नई दिल्ली।
6. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज विभाग एवं सह चेयर परसन, EC, SSAAT
7. निजी सचिव, संयुक्त शासन सचिव, मनरेगा, MORD, भारत सरकार, नई दिल्ली को प्रेषित कर निवेदन है कि समस्त संसाधन व्यक्तियों के लिये प्रशिक्षण हेतु उचित बजट राशि उपलब्ध कराने का श्रम करें।
8. निजी सचिव, निदेशक, राष्ट्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज राज. संस्थान हैदराबाद को प्रेषित कर निवेदन है कि समस्त संसाधन व्यक्तियों के लिये प्रशिक्षण की उचित व्यवस्था कराने का श्रम करावें।
9. निजी सचिव, शासन सचिव, ग्रामीण विकास विभाग सह सदस्य सचिव, शासी निकाय, सामाजिक लेखा परीक्षा जवाबदेही एवं पारदर्शिता सोसायटी (SSAAT)
10. निजी सचिव, शासन सचिव, पंचायतीराज विभाग।
11. निजी सचिव, शासन सचिव, वित्त (बजट) विभाग।
12. निजी सचिव, शासन सचिव, श्रम एवं रोजगार विभाग।
13. निजी सचिव, शासन सचिव, आयुक्त मनरेगा, राजस्थान।
14. निजी सचिव, निदेशक, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग।
15. निजी सचिव, निदेशक, (SSAAT)
16. लेखाधिकारी (प्रशासन) एवं लेखाधिकारी (सामाजिक अंकेक्षण) कार्यालय हाजा वास्ते सूचनार्थ एवं पालना सुनिश्चित कराने हेतु।
17. प्रोग्रामर, कार्यालय हाजा, वास्ते सूचनार्थ, पालनार्थ एवं सोसायटी की Website पर अपलोड कराने हेतु।
18. सहायक लेखाधिकारी–I/II/सूचना सहायक/कनिष्ठ लेखाकार/समस्त अधिकारी/कर्मचारी वास्ते सूचनार्थ एवं पालनार्थ।
19. रक्षित पत्रावली।

02/2/2021
(रामावतार शर्मा)
निदेशक,
सामाजिक लेखा परीक्षा जवाबदेही एवं
पारदर्शिता सोसायटी SSAAT